प्रथम इंटर कॉलेजिएट मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2018

वाद बिंदु

१. प्रोटिया, अल्फ्रादो नामक देश का एक छोटा सा प्रदेश है, जहाँ सड़कों और वाहनों की घनी आबादी है। पूरे अल्फ्रादो राष्ट्र में प्रोटिया ही एक साम्यवादी सरकार वाला राज्य है। सन १९५० में अल्फ्रादो की आजादी के बाद से ही, प्रोटिया में कम्युनिस्ट पार्टियाँ अन्य दलों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में राजमार्ग की दो लेन की सड़के हैं तथा जिनके किनारे का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक और निजी दलों द्वारा अतिक्रमण से प्रभावी रहा है।

२. प्रोटिया राज्य संपूर्ण अल्फ्रादो में अल्फ्रेड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अ0प0नि0ब0) द्वारा सबसे अधिक वायु प्रदूषित राज्य घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग है। सड़क सुरक्षा वार्षिक सर्वेक्षण की सन २०१४ की सांख्यिकीय रिपोर्ट बताती है कि प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के लिहाज से प्रोटिया की स्थिति बेहद ख़राब है। इस वर्ष करीब ८००० लोगो की मौत सड़क दुर्घटना से हुई है। इन सड़क दुर्घटनाओं का कारण जानने हेतु कराये गए सर्वे में निरंतर राजनीतिक बैठकों, धार्मिक जुलूसों एवं कुछ सामाजिक समूहों द्वारा आयोजित गतिविधियां को प्रमुख कारण बताया गया हैं। ज़ोमर टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अनुभवजन्य अध्ययन से पता चलता है कि सडको पर ज्यादातर दुर्घटना राजनीतिक दलों, व्यापर संघ द्वारा सड़कों की लगातार नाकाबंदी के कारण होती है।

३. ऐसे सांख्यिकीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने २०१४ में **प्रोटिया सार्वजनिक मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४** में लागू किया। सन २०१४ के अधिनियम की धारा ९(१) के अंतर्गत राज्य को प्रदान के जाने वाली शक्तियों के आधार पर, प्रोटिया की सरकार ने जून २०१५ में एक अधिसूचना पारित की, जो निम्नलिखित है:

प्रोटिया सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

सं.0–३७५६/ विधायिका ई0 / २०१२ / गृह

दिनांक ६ जून २०१५

प्रोटिया जनता मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम , २०१४ की धारा ९ के अंतर्गत राज्य को प्रदान के जाने वाली शक्तियों के आधार पर, प्रोटिया सरकार जनता को जानकारी देने हेतु निम्नलिखित सूचित करती है यह कि सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत ह्आ है की पूरे वर्ष राजनीतिक दलों, व्यापार संघों एवं धार्मिक त्यौहारों के दौरान सड़कों की निरंतर नाकाबंदी सड़क दुर्घटनाओं क मुख्य कारण है अतः ऐसे सभाओ एंड जुलूसो के लिए राज्य के उत्तरी भाग में स्थित ग्रीनवेज़ क्रीडा स्थल का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि पैदल चलने वालों, सड़क उपयोगकर्ताओं और आम आदमी के दैनिक जीवन पर असर न पड़े, और साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐसे अन्य समूह अपने अधिकारो का उपभोग कर

एंथोनी स्टार्क

प्रमुख सचिव

प्रोटिया सरकार

[प्रोटिया सार्वजनिक मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम , २०१४ का संपूर्ण पाठ अनुबंध-क में संलग्न है।]

४. प्रोटीया सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, (पश्चात् 'पार्टी' से संबोधित), प्रोटिया राज्य का प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल के पडोसी राष्ट्र नार्निया में स्थापित कोबरा लिबरेशन सेना (को0ल0से0) नामक संघर्षरत दल से अटूट संबंध है। प्रोटिया सरकार ने कोबरा लिबरेशन सेना को एक आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन पार्टी के अभी भी कोबरा लिबरेशन आर्मी के साथ राजनीतिक संबद्धता जारी है तथा आम जनता में कोबरा लिबरेशन सेना के बारे में जागरुकता लाने का प्रयास करती है।

५. पार्टी ने प्रोटिया के लेविसा जिले के पुलिस अधीक्षक से 'पैट्रियट आज़ाद बस टर्मिनल' के सामने सड़क पर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी। पैट्रियट आज़ाद बस टर्मिनल एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है जहां से शहर के अधिकांश वाहन आते जाते है। पैट्रियट आज़ाद बस टर्मिनल विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक अधिकारियों को

जोड़ने का कार्य करती है। पार्टी यह बैठक एक महान क्रांतिकारी नेता, जो राज्य के बड़े सुधार लाने में अग्रणी रहे थे, की जन्म शताब्दी के उपलक्ष पर आयोजित करना चाह रही है। यह क्रांतिकारी नेता कोबरा लिबरेशन सेना में सचिव के पद पर आसीन थे जब उसे अल्फ्रादो द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया था।

६. लेविसा जिले के अधीक्षक ने प्रोटिया सार्वजनिक मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४ की धारा ७(१)(स) को उद्धृत करते हुए अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

७. पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक बैठक की अनुमति न देने खिलाफ पार्टी ने संविधान के अनुछेद ३२ के तहत अल्फ्राडो के सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया। अलफ्राडो के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने २०१४ के अध्यारोपित अधिनियम की धारा ७(१)(स) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, पार्टी का पक्ष है की यह धारा अल्फ्राडो के संविधान के अनुच्छेद १९(१)(ए) और १९(१)(ब) में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

८. इसी के मध्य 'गोल्ड हार्ट फाउंडेशन' नामक एक सार्वजनिक संगठन ने एक उत्तरदायी प्रतिवादी के रूप में यह प्रस्तुत किया की लगातार सार्वजनिक बैठको और जूलोसो से अल्फ्राडो के संविधान के अनुच्छेद १९(१)(द) के तहत लोगो की घूमने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इससे संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत लोगों के जीवन का अधिकार भी प्रभावित है। जिसके प्रतिउत्तर में अल्फ्राडो राज्य ने तर्क दिया कि अधिनियम के संविधान के ९ अनुसूची के तहत सम्मिलन हो जाने के आधार पर यह प्रशन न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित है।

९. यह रिट याचिका अल्फ्राडो के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। चूंकि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं, अतः इससे निर्णित करने के लिए याचिका संवैधानिक पीठ को भेजी गई है और अब यह अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित है।

निर्देश

• अल्फ्राडो के संविधान के सभी प्रावधान भारत के संविधान के समान हैं।

• अल्फ्राडो की सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियमित एवं कानून भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के समान हैं।

अनुलग्नक- क

प्रोटिया सार्वजनिक मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४

जनता द्वारा जनमार्गो पर बिना किसी अवरोध के चलने के अधिकार को संरक्षित करने और किसी भी समूह के सार्वजनिक रास्ते इकट्ठा होने, सामूहिक तरीके से आन्दोलन करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने और उनसे जुड़े हुए मामलों को विनियमित करने हेतु एक अधिनियम

प्रस्तावना - जहां तक, जनता को अबाधित चलने के अधिकार की सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो:

और जहां तक, जनता के किसी भी वर्ग के सार्वजनिक एवं सामूहिक तरीके से एकत्रित होने के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो:

और जहां तक, सार्वजनिक तरीके से जुलूस के अधिकार को विनियमित करने के लिए और इसके प्रासंगिक मामलो के लिए आवश्यक हो:

अल्फ्रादो राष्ट्र के गणराज्य होने के चालीसवे वर्ष में अधिनियमित होगा: -

१. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम को प्रोटिया जनता मार्ग (सभा एवं जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४ कहा जाएगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण प्रोटिया राज्य में होगा।
(3) यह १ जनवरी २०१५ से लागू होगा।

२. परिभाषाएं -

(अ) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ संदर्भ के लिए आवश्यक नहीं है-

(क) 'फुटपाथ:' का अर्थ किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए निर्धारित क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई एक मीटर से कम नहीं होती है, तथा

सार्वजनिक रास्ते पर वाहनों के आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ने के बाद दोनों ओर से तीन मीटर से अधिक नहीं,

(ख) 'लाइसेंस' का मतलब धरा ७ में जरी लाइसेंस,

(**ग**) 'सार्वजनिक मार्ग'' मका सन्दर्भ सभी राजमार्ग, पुल, सड़क, लेन, फुटपाथ, स्क्वायर, कोर्ट यार्ड, बगीचे पथ, चैनल या मार्ग, जो जनता के लिए सुलभ है तथा जो सार्वजनिक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है

(घ) 'सड़क-मार्जिन' का मतलब सार्वजनिक मार्ग का वह हिस्सा है जो प्रत्येक तरफ से फुटपाथ से सार्वजनिक मार्ग की बाहरी छोर तक विस्तारित होता है।

(ब) इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्ति, लेकिन अल्फ्राडो दंड संहिता, १८६० एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, १९७३ या मोटर्स वाहन अधिनियम, १९८८ में परिभाषित है, उन् शब्दों या अभिवाक्तियो का अर्थ क्रमशः वही होगा, जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

३. सार्वजनिक तरीकों पर जनता के आवाजाही का अधिकार -

जनता को सभी सार्वजनिक मार्गो के फुटपाथ पर पैदल एवं वाहनों के साथ बिना किसी गतिरोध के आवाजाही का अधिकार प्राप्त है।
यह अधिकार जनता की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाये गए कानूनों के अधीन होगा।

४. सार्वजनिक मार्गो पर रुकावट का निषेध -

(अ) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर, किसी वव्यावसायिक, धार्मिक, राजनैतिक सभा, प्रदर्शन या जुलूस से कोई रुकावट नहीं बनाएगा।
(ब) राजमार्ग या फुटपाथ को या उसके किसी भी हिस्से को बाधित करने वाली कोई भी बैठक या सभा आयोजित नहीं की जाएगी।
(स) इस तरह का कोई प्रदर्शन या जुलूस नहीं आयोजित किया जाएगा जो की पूरे राजमार्ग, फूटपाथ पर यातायात के संपूर्ण प्रवाह को पूरी तरह से बाधित करता हो।

५. अपराध के लिए सजा.-

(अ) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस के तहत अनुमति नही होने पर किसी भी सार्वजनिक तरीके से मार्गो में किसी भी तरह के रुकावट का कारण बनता है या कोई व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है या किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करते हुए किसी भी गतिविधि पर कार्य करता है, वह कारावास के साथ दंडनीय हो सकता है जिसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है
(ब) इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे।

६. छूट -

इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा, दुर्घटना या दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकने के लिए किसी जुलूस या सार्वजनिक सभाओ या किसी सदस्य या उसके समूह द्वारा अच्छे कार्य में की गई कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।

७. त्योहारों, विधानसभाओं, बैठकों आदि के आचरण का विनियमन -

(अ) धारा ३ और ४ में जनता को मी अधिकारो के बावजूद, पुलिस अधीक्षक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में जनता के अबाधित रूप से आवाजाही के अधिकार पर २४ घंटे तक निम्नलिखित आयोजन हेतु उचित प्रतिबंध लगा सकता है: -

(**क**) धार्मिक या राष्ट्रीय त्योहारों के संचालन के लिए, जो परंपरागत हैं और जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित किया जाता है।

(बी) राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, जो पुलिस अधीक्षक की राय में प्रतिबंध की आवश्यकता होती है;

(सी) सार्वजनिक सभाओं और बैठक के संचालन के लिए; तथा

(डी) सार्वजनिक प्रदर्शन और जुलूस के संचालन के लिए।

(ब) उन मामलों में जहां विवाद किसी त्यौहार के पारंपरिक या प्रथागत होने का होगा, उन विवादों में इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने के निर्णय विवाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा।

(स) कोई भी व्यक्ति, संघ, संगठन, जो उपधारा (अ) के तहत निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए सार्वजनिक मार्ग के किसी हिस्से के उपयोग करना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए ७ दिन पहले पुलिस अधीक्षक को अग्रिम आवेदन करना होगा। उसे सार्वजनिक मार्ग के उपयोग

के लिए ऐसे सभी विवरण प्रस्तुत करना होंगे जो पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

परन्तु कि पुलिस अधीक्षक पर्याप्त और वास्तविक कारणों के लिए उपखंड (3) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के छूट में आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

(द).

(क) उप-धारा (ग) के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर, पुलिस अधीक्षक, उस पर विचार किए जाने के बाद, जनता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध, प्रकृति, अवधि और अन्य विवरणों के बारे में एक नोटिस प्रकाशित करें।

(ख) उपधारा (द) के खंड (क) के तहत पुलिस अधीक्षक, नोटिस के साथ, जनता को रुकावट की अवधि के लिए वैकल्पिक मार्गों या सुविधाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराएगा और यह पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य होगा की सार्वजनिक सभा के स्थान पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नियुक्त करे जो जनता के सुरक्षा एवं सार्वजानिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जरूरी हो।

(ग) पुलिस अधीक्षक व्यक्ति, संघ, संगठन को एक सशर्त लाइसेंस जारी करेगा जैसे वह ठीक और उचित समझे।

(य). पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक सभा के लिए किसी भी स्थायी या अस्थायी प्रकृति के निर्माण की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि निर्माण विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुमति नहीं दी जाती है - रखरखाव का प्रभार और विशेष सार्वजनिक मार्ग का रख-रखाव

(र). इस खंड में कुछ भी पुलिस अधीक्षक को किसी भी प्रदर्शन या जुलूस या विधानसभा या बैठक या त्योहार की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं समझा जाएगा, जहां वह जनता की सुरक्षा और सुविधा को लेकर संतुष्ट है की ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

८. शक्ति का प्रतिनिधिमंडल-

इस अधिनियम के तहत पुलिस अधीक्षक, अपने किसी भी अधिकार को, सरकार के अनुमोदन के साथ, पुलिस उप-अधीक्षक सौंप सकता हैं। वरन वह पुलिस उप-अधीक्षक पद के नीचे के अधिकारी को अपने अधिकार नही सोप सकता है।

९. नियम बनाने के लिए शक्ति -

(अ) सरकार, आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसे नियम बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधान से असंगत न हो।

(ब) सरकार द्वारा बनाया गया नियम चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए वैध होगा। इसके पश्चात्इस इसे यथाशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यदि विधानसभा नियम में कोई संशोधन करती है या निर्णय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तदोपरांत नियम केवल ऐसे संशोधन स्वरुप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावीहोगा।

१0. कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति -

(अ) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, तो सरकार कुछ भी ऐसा आदेश कर सकती है जो इस प्रावधान से असंगत नहीं है जो इस कठिनाई को हटाने के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

वरन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से २ वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(ब) उप-धारा (अ) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र विधानसभा के पटल रखे जाएंगे।